

उत्तराखण्ड शासन  
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग  
संख्या /XVII(4)/2018-2(14)/13  
देहरादून: दिनांक 19 जनवरी, 2018  
कार्यालय-ज्ञाप

आपदाग्रस्त जनपदों में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त आंगनबाड़ी केन्द्र भवन के निर्माण एवं आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत हेतु धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा जनपद स्तर समिति के गठन की स्वीकृति तथा उन जनपदों में उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के स्थान पर "ग्राम पंचायतों" को शासनादेश संख्या-282/XVII(4)/2016-2(14)/13 दिनांक 24.02.2014 द्वारा कार्यदायी संस्था तथा शासनादेश संख्या-1220/XVII(4)/2016-2(14)/2013 दिनांक 24.08.2015 द्वारा उक्त शासनादेश में आंशिक संशोधन करते हुए जनपद हरिद्वार में क्षतिग्रस्त आंगनबाड़ी भवनों के पुर्ननिर्माण/नवनिर्माण हेतु "ग्राम पंचायत" के स्थान पर "विकास खण्ड" को कार्यदायी संस्था नामित किया गया तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-2688/XVII(4)/2016-2(14)/2013 दिनांक 29.11.2016 द्वारा जनपद हरिद्वार सहित समस्त आपदाग्रस्त जनपदों में उक्त निर्माण हेतु पूर्व की भांति "ग्राम पंचायतों" को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

2- सम्यक् विचारोपरान्त भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों के अनुक्रम में कार्यालय ज्ञाप संख्या-2688/XVII(4)/2016-2(14)/2013 दिनांक 29.11.2016 में संशोधन करते हुए "ग्राम पंचायतों" के स्थान पर "पंचायती राज संस्थाओं" को आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया जाता है।

3- उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-2688/XVII(4)/2016-2(14)/2013 दिनांक 29.11.2016 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(राधा रतूड़ी)  
प्रमुख सचिव

संख्या- 74 (1)/XVII(4)/2018-2(14)/2013 तददिनांकित  
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. निदेशक, आई०सी०डी०एस०, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), उत्तराखण्ड।
5. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल।

(जे०एल० शर्मा)  
उप सचिव